

पत्रावली द्वारा 2014 के मेगा रैम्प
चौखण्ड में पेश हुई। उभय पक्षकारण
कैम्प उपस्थित हुए। उभय पक्षकारण
ने कैम्प में राजीनामा पेश किया।
बदखीलदार चौखण्ड से मौका रिपोर्ट
प्राप्त हुई जो पत्रावली शामिल की गई।
राजीनामा अनुसार वाद में मौका कल
काइत अनुसार हम दरमीम दुरस्त कर
लिये हैं इसी अनुसार दरमीम शुद्ध
कलिका काइदेश फलामा जवै

मौका कल

मौका रिपोर्ट

मौका कल

2017/2/16

द्वारा 183 RT Act का अवलोकन
नहीं है। मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन
किया गया। मौका रिपोर्ट व संलग्न नक्शा
परिशिष्ट 'ब' अनुसार दरमीम दुरस्त कल
प्रस्तावित है दरमीम दुरस्त कलाने में
उभय पक्षकारण सहमत हैं। इतना बदखीलदार
चौखण्ड द्वारा पेश मौका रिपोर्ट व नक्शा
परिशिष्ट 'ब' अनुसार दरमीम दुरस्त कल
का काइदेश दिया जाता है। मौका रिपोर्ट व
नक्शा परिशिष्ट 'ब' मिर्ठाये के इतना
भाग रहेगी। दरमीम दुरस्त कल से
किसी भी प्रकार का अतिरक्षण नहीं
पाया जाता है। इतना राजस्थान काइतकारी
अधिनियम का धारा 183 में कसियाही
किया जाना उचित नहीं होता है।
मौका रिपोर्ट व नक्शा परिशिष्ट 'ब'
के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल

राजस्थान
राजस्थान
राजस्थान

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तालीम
में जारी हुए

परामर्श करने का तहसीलदार
चौहान को कानून दिया जाता
है। पत्रावली क्र. 148/2018 शेरकटवा
दफ्तर है। संख्या से कम है।


उपजज अधिकारी
चौहान



सुभाष

3 तमारीम

गोरधारा




भास्कर



दशरथ



राजेश



दीपक

पुनः-पुनः

चौहान